

कार्यालय प्राम पंचायत

पीपनार

विकास स्वरूप

सादातु

जनपद-

गांधीशुर

प्राम

दिनांक

१५/१०/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (छर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मालिक

अवगत कराना है कि दिनांक १७/६/२३ का प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत ने निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बेटक की गयी। बेटक ने ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पार्षदगिक / जूहाइस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता / समायिका, कांटदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बेटक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परियार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पव्र संन्मन है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्यालयी कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हस्ताक्षित सहमति पत्र।

भवदारा,

मिशन

M.P. Singh
(Director)

Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

ग्राम पंचायत प्राप्ति अधिकारी
ग्राम पंचायत प्राप्ति अधिकारी
ग्राम पंचायत प्राप्ति अधिकारी



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 18/7/23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 17/06/23

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: पुण्यनगर

ग्राम पंचायत का नाम: पुण्यनगर

ब्लॉक का नाम: सौनामीपुर

जिला का नाम: उत्तर प्रदेश

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुड़ी को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन जियमित आधार पर अर्थात् घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक 22% यामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का 10%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिमित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.इ.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति):

समिति को क्या कहा जाता है: पुण्यनगर नियन्त्रण समिति

अध्यक्ष का नाम: राम राम

लिंग: पुरुष

आयु:



*M.P. Singh
(Director)
Sushma Found.
Varanasi(U.P.)*

III. सामान्य विवरण

6.

2011 को जनगणना के अनुसार	<u>2806.86</u>
जनसंख्या	<u>2806.86</u>
प्रतिवर्ष वार्षिक संख्या	<u>60.646</u>
ग्राहनांग की संख्या	<u>1.86</u>
प्रत्यासु जनसंख्या	<u>2746.26</u>
दृष्टिकोण की संख्या	<u>6.456.16</u>
ग्राम पंचायतीय जनसंख्या	<u>6.456.16</u>


वर्तमान संख्या/आगामी वर्ष के अनुसार	<u>3423</u>
प्रतिवर्ष वार्षिक संख्या	<u>168</u>
ग्राहनांग की संख्या	<u>1200</u>
प्रत्यासु जनसंख्या	<u>400</u>
दृष्टिकोण की संख्या	<u>823</u>
ग्राम पंचायतीय जनसंख्या	<u>823</u>

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 43 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण
- वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 61.42 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 1150

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 180 \pm 18511. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): समतल

IV. स्थिति विवरण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)हाँ13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)हाँ

14.	कृषि सीमा	सावधानीय संस्थान का नाम	क्या एक प्रचलितीसीमा उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल विपरीत साल का उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्य बढ़दो को उपलब्धतार (हाँ/नहीं)
1.	समतल	_____	_____	_____	_____
2.	आगंनवाड़ी	_____	_____	_____	_____
3.	समान स्तर विस्तृत	_____	_____	_____	_____
4.	ग्राम पंचायत संघ	_____	_____	_____	_____
5.	संघ	_____	_____	_____	_____



पानी की कुज दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 43.11 के.एल.डी.
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 75 के.एल.डी.
 मवेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 4
 मध्यवर्ती घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 73.11 के.एल.डी.
 अंतिम घरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 60 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: _____
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: हैंजा, भलौरीया, टाल्माझट
- पानी की गुणवत्ता

20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुद्राय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____
21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____
- | मापदंड | परिवर्तन | परिणाम |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| प्रदूष | दृश्य नुलना | प्रदूषण |
| प्रण लवण्यता | प्रदूष रग तुलना | टिटीमाटिक विविध |
| प्रण मारुता | टिटीमाटिक विविध | टिटीमाटिक विविध |
| चलोरात्मा | टिटीमाटिक विविध | टिटीमाटिक विविध |
| जागोनिया | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
| जल खेत | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
| जलप्रीत्र बल्लरीन | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
| आपूर्ति | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
| जलदर्द | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
| फ़िल्डप्रैक्षणिक | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
| मासिनिक (हाटस्पॉट में) | दृश्य रग तुलना | दृश्य रग तुलना |
- कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान
23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____
- | प्रत्येक सात घण्टा दूरी | धरण की संख्या | आपादी |
|-------------------------|---------------|---------|
| प्रथम | प्रथम | प्रथम |
| द्वितीय | द्वितीय | द्वितीय |
| तीसरी | तीसरी | तीसरी |
| चौथी | चौथी | चौथी |
| पांचवीं | पांचवीं | पांचवीं |
| छठी | छठी | छठी |
| सातवीं | सातवीं | सातवीं |
| अंतिम | अंतिम | अंतिम |
- 99

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 16.41 के.एल.डी.अलग-अलग सोखता गढ़ों वाले परिवारों की संख्या: 5उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गढ़ों की आवश्यकता है: 12आवश्यक सामुदायिक सोखता गढ़ों की संख्या: 4क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): हाँयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर गिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: ताला व तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन केआधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: जल ताल ग्रिशनइस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: प-वागृह ८५८८ निर्धारितवह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: 2024योजना की लागत: २.९० लाख भारत सरकार का हिस्सा: X राज्य का हिस्सा: Xसमुदाय का हिस्सा: १० % व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: X व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: पी.डब्ल्यू.एस. कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

योजना का नाम	सेवक जल	संभावित गतिविधि	प्रस्तावित निधि
मन्दिर सारता विभाग	ग्राम संभावना	ग्राम संभावना विभाग	ग्राम संभावना विभाग
मन्दिर सारता विभाग	प्रयोक्ता शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क	प्रयोक्ता शुल्क
मन्दिर सारता विभाग	जल शाखा भवालय	जल शाखा भवालय	जल शाखा भवालय
मन्दिर सारता विभाग	ग्राम संभावना विभाग	ग्राम संभावना विभाग	ग्राम संभावना विभाग



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृषि पुनर्जनन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्से से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	बनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पैदल सापूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आश्रोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांस्थियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गाम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक			

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: १६११५ पा०५७

पी.एच.डी.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: १६११५

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): १६११५

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौक्सी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. पुजा देवी = ९८७६५३५४९८
2. लैना देवी = ९४३८५२५०८३
3. साजी ताजभा = ९५९००२८०७८८
4. बनम कुमारी = ९८९२८२८५२८
5. सुष्मा कुमारी = ९८९२८२८५२८

पेप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:


M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P)

